कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 61/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, जनपद– आजमगढ़

चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, ₹1899 नगद बरामद

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई ₹1899/- नगद धनराशि बरामद की गई है।

☐ **संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 02.02.2026 को ई-एफआईआर के माध्यम से वादी प्रद्युम्न यादव, फील्ड इंजीनियर, ओबल सिस्टम प्रा.लि., जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 26.01.2026 को ग्राम सिकहुला स्थित पशु चिकित्सालय ब्लॉक कैम्पस परिसर में स्थापित वर्षामापी यंत्र ARG (UPR0565) से सोलर पैनल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 10.02.2026 को आवेदक लखन्दर यादव पुत्र अवधेश यादव, निवासी ग्राम कडछा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 09.02.2026 की रात्रि अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री सिद्ध हनुमान मंदिर कुटी, कडछा में लगी तीन दान पेटिकाओं के ताले तोड़कर दान की धनराशि चोरी कर ली गई है। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 38/2026 धारा 305(D)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

☐ **गिरफ्तारी का विवरण**

आज दिनांक 13.02.2026 को उ0नि0 बासदेव साहनी मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर फत्तनपुर गांव की ओर जाने वाले तिराहे के पास से अभियुक्त को पकड़ लिया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से ₹959/- नगद बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि यह धनराशि मंदिर की दान पेटिकाओं से चोरी की गई है तथा शेष ₹940/- सोलर पैनल बेचने से प्राप्त धनराशि है। इस प्रकार कुल ₹1899/- नगद बरामद किया गया।
अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह बेरोजगार है तथा नशे का आदी होने के कारण चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। अभियुक्त की निशानदेही व स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को समय करीब 05:05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

☐ **गिरफ्तार अभियुक्त**

1. **अरुण कुमार** पुत्र राजेन्द्र, निवासी– बनकट, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़, हाल पता– रमई पोखर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

☐ **बरामदगी**

- ₹1899/- नगद

☐ **पंजीकृत अभियोग**

1. मु0अ0सं0 38/2026 धारा 305(D)/331(4)/317(2)/303(2) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 34/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस *(थाना– सरायमीर, जनपद आजमगढ़)*

☐ **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 बासदेव साहनी
2. उ0नि0 राजकुमार यादव हे0का0 सतीश सिंह मय हमराह *थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़*

➡☐ जनपद पुलिस अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट

थाना पवई, जनपद– आजमगढ़

विद्युत मोटर चोरी का खुलासा, सिल्वर कम्पनी की 02 हार्स पावर मोटर बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पवई पुलिस द्वारा विद्युत मोटर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गई सिल्वर कम्पनी की 02 हार्स पावर की मोटर बरामद की गई है।

☐ पूर्व की घटना

वादी श्री सुभाष सिंह पुत्र स्व० विजयबहादुर सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 11.02.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खेत स्थित कमरे की खिड़की (जंगला) तोड़कर हरे रंग की सिल्वर कम्पनी की 02 हार्स पावर विद्युत मोटर चोरी कर ली गई।

पूछताछ के दौरान संदेह के आधार पर संतोष पुत्र बृजमोहन गौतम एवं गुलशन पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम अलीनगर, थाना पवई के नाम प्रकाश में आए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 32/2026 धारा 331(4), 305(क), 317(2) बीएनएस बनाम

1. संतोष पुत्र बृजमोहन
2. गुलशन पुत्र मिश्रीलाल

   निवासीगण ग्राम अलीनगर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

☐ बरामदगी / गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को अभियुक्त संतोष पुत्र बृजमोहन को ग्राम अलीनगर स्थित मुन्ना के खेत से क्षेत्रीय लोगों द्वारा पकड़कर चोरी की मोटर सहित थाना पवई पर लाया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को विधिवत हिरासत में लेकर समय 12:33 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। चोरी की गई सिल्वर कम्पनी की 02 हार्स पावर विद्युत मोटर बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त

संतोष पुत्र बृजमोहन निवासी– ग्राम अलीनगर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ उम्र– करीब 33 वर्ष

☐ पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 11.02.2026 की रात्रि में उसने अपने साथी गुलशन पुत्र मिश्रीलाल के साथ मिलकर सुभाष सिंह के खेत स्थित कमरे की खिड़की तोड़कर विद्युत मोटर चोरी की थी तथा उसे ग्राम के मुन्ना के सरसों के खेत में छिपा दिया था। बाद में गांव वालों के आने पर डर के कारण चोरी की बात स्वीकार करते हुए मोटर बरामद करा दी। अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही।

☐ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 32/2026 धारा 331(4), 305(क), 317(2) बीएनएस,थाना पवई, जनपद आजमगढ़

☐ आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 32/2026 धारा 331(4), 305(क), 317(2) बीएनएस थाना पवई, जनपद आजमगढ़

➡☐ थाना पवई पुलिस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु सतत प्रयासरत है।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– रौनापार, जनपद– आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई — किशोरी से छेड़खानी के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के क्रम में संचालित **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत थाना रौनापार पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

□ घटना का विवरण

वादी द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 12.02.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री स्कूल से साइकिल द्वारा घर लौट रही थी। रास्ते में ग्राम उर्दिहा निवासी अभियुक्तगण द्वारा उसकी साइकिल रोककर हाथ पकड़ते हुए छेड़खानी की गई तथा मोबाइल नंबर मांगा गया।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर दिनांक 13.02.2026 को मु0अ0सं0 34/2026 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 शिवम मिश्र को सौंपी गई।

□ गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.02.2026 को अभियुक्तगण—

1. नमन पटेल पुत्र रघुवंशी, उम्र 21 वर्ष
2. सिकन्दर पुत्र राम कूवर, उम्र 19 वर्ष
   निवासीगण ग्राम उर्दिहा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

को उनके घर से समय करीब 13:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

□ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 34/2026 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

□ आपराधिक इतिहास

(अभियुक्त नमन पटेल)

1. मु0अ0सं0 34/2026 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 396/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

(अभियुक्त सिकन्दर)

1. मु0अ0सं0 34/2026 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवम मिश्र, थाना रौनापार
2. का0 प्रभाष्कर यादव, थाना रौनापार

➡□ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान* के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई एवं कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जनपद पुलिस महिलाओं की सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.02.2026 जनपद आजमगढ़

"**ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति**" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 **वर्ष के कठोर कारावास व 27000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- **03.09.2019** को वादी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि अभियुक्त **प्रदीप सिंह पटेल पुत्र जयबहादुर सिंह पटेल मकरोपुर** थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर दिल्ली भगा ले जाना व उसके साथ 03 दिन तक दुष्कर्म किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-196/2019 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➞जिसके क्रम में दिनांक-13.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **प्रदीप सिंह पटेल पुत्र जयबहादुर सिंह पटेल मकरोपुर** थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए **जेल मे बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

➞ दिनांक- **31.05.2003** को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राम नवल सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि अभियुक्त **जीशान पुत्र नसीम निवासी मंगरावा थाना गम्भीरपुर** जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद अबैध तमन्चा व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-319/2003 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है।

➞जिसके क्रम में दिनांक-13.02.2026 को मा0 न्यायालय FTC (SD) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **जीशान पुत्र नसीम निवासी मंगरावा थाना गम्भीरपुर** जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 01 माह के कारावास व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**